

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ०पी०बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 309/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट्स
घमूराम पुत्र श्री नारायणराम जाति विश्नोई, निवासी- भीमसागर बेरा, सामराऊ, तहसील औसिया, हाल निवासी पलीना, तहसील लोहावट जिला जोधपुर।		<p>01-किसनी पुत्री स्व० धनाराम पत्नी श्री हरीराम जाति विश्नोई निवासी नोसर तहसील औसिया</p> <p>02-नैनी पुत्री स्व० धनाराम पत्नी श्री रामलाल जाति विश्नोई निवासी पांचला तहसील खींवसर जिला नागौर</p> <p>03-झमकु पुत्री स्व० धनाराम के का०मु० 03/1 रामरख पुत्र श्री खेराजराम 03/2 मोमराज पुत्र श्री खेराजराम 03/3 किसनी पुत्री श्री खेराजराम 03/4 दोपी पुत्री खेराजराम सभी जाति विश्नोई निवासी भाखरी तहसील औसिया</p> <p>04-तेजाराम पुत्र श्री सुरजराम के का०मु० 4.1 श्रीमती बरजू पत्नी स्व.श्री तेजाराम 4/2 हनुमानराम पुत्र स्व० श्री तेजाराम 4/3 पांचाराम पुत्र स्व० श्री तेजाराम 4/4 किशनाराम पुत्र स्व० श्री तेजाराम 4/5 गोपीराम पुत्र स्व० श्री तेजाराम 4/6 पप्पूराम पुत्र स्व० श्री तेजाराम 4/7 शायरी पुत्री स्व० श्री तेजाराम 4/8 शान्ति पुत्री स्व० श्री तेजाराम 4/9 रामप्यारी पुत्री स्व० श्री तेजाराम</p> <p>05-लाखाराम पुत्र श्री सुरजनराम के का०मु० 5/1 हरीराम पुत्र स्व० श्री माणकराम 5/2 भगवानाराम पुत्र श्री माणकराम 5/3 आशाराम पुत्र स्व० श्री माणकराम 5/4 पारसराम पुत्र स्व० श्री माणकराम 5/5 खेताराम पुत्र स्व० श्री लाखाराम 5/6 सहीराम पुत्र स्व० श्री लाखाराम 5/7 गोपालराम पुत्र स्व० श्री लाखाराम 5/8 श्रीमती बगतू पत्नी श्री लाखाराम सभी जाति बिश्नोई निवासी ग्राम पलीना तहसील फलोदी जिला जोधपुर</p> <p>06-हीरकनराम पुत्र श्री सुरजनराम</p> <p>07- भाखरराम पुत्र श्री सुरजनराम फौत के का०मु० 7/1 मांगीलाल पुत्र स्व० श्री भाखरराम 7/2 भंवरलाल पुत्र स्व० श्री भाखरराम</p>



डा. वसुदेव वाहुत
जोधपुर

		<p>7/3 गोमती पत्नी स्व0श्री भाखरराम -फौत के का0मु 7/3/1 भीखा पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री नारायणराम जाति विश्‍नोई निवासी धोलासर तहसील फलोदी 7/3/2 एलची पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री हनुमानराम जाति विश्‍नोई निवासी मूलराज-डाबर, लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर 7/3/3 स्वरूपी पुत्री स्व0 श्री भाखरराम पत्नी श्री सोहनपाल सिंह जाति बिश्‍नोई निवासी धोलासर तहसील फलोदी 08 कुशलाराम पुत्र श्री नारायणराम 09 तुलछाराम पुत्र श्री नारायणराम 10 हीराराम पुत्र श्री रणजीताराम प्रत्यर्थी संख्या 8 से 10 जाति विश्‍नोई निवासी पलीना तहसील लोहावट जिला जोधपुर 11 राज.राज्य द्वारा तहसीलदार लोहावट</p>
--	--	--



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 24.11.2015 जो रिमाण्ड प्रकरण संख्या 74/1987 अनवान किसनी बनाम चुनी वगैरा मे श्री तहसीलदार फलोदी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
- 2- श्री हुकमाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1,3 की ओर से ।
- 3- श्री किसनाराम, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2,5,7 की ओर से ।
- 4- श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4,6 की ओर से ।
- 2- रेस्पो0 संख्या 8,9,10 बावजूद नोटिस तामीली/सूचना के अनुपस्थित.
- 3- श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12-08-2022

अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि स्व0 धना पुत्र समेल अकेले की खातेदारी की भूमि ग्राम पलीना में ख0 न0 105 रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा, ख0न0 104 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 61 रकबा 4 बीघा कुल रकबा 327 बीघा 14 बिस्वा

बहि. वसुधाबाब बाहुत
जोधपुर

तथा ख0न0 763 रकबा 47 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 321 रकबा 201 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 324 रकबा 20 बीघा, कुल रकबा 269 बीघा 12 बिस्वा मे धन्ना पुत्र समेला की 1/4 हिस्से की खातेदारी की थी तथा ख0न. 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 98 रकबा 61 बीघा 7 बिस्वा, कुल रकबा 90 बीघा 3 बिस्वा मे धना पुत्र समेला का 1/2 हिस्सा खातेदारी मे था। इसके बाद खातेदार धन्ना का संवत 2021 में देहान्त हो गया तथा धन्ना के देहान्त उपरान्त उपरोक्त भूमि का फौतेदगी नामा. संख्या 126 दिनांक 20.11.1965 को धन्ना की धर्मपत्नी श्रीमती चुनी के नाम दर्ज किया गया तथा श्रीमती चुनी काबिज खातेदार काश्तकार हो गयी।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में यह भी कथन किया कि चुन्नी पत्नी स्व0 धन्नाराम ने दिनांक 12.04.1977 को उपरोक्त खसरा संख्या 105 रकबा 322 बीघा 8 बिस्वा मे से उत्तर-पूर्व की तरफ की 100 बीघा भूमि अपीलार्थी व उसके भाई तुलछाराम को बेचानकर कब्जा सौंप दिया तथा इसी खसरा के 100 बीघा भूमि उसी दिन प्रत्यर्थी कौशलाराम को बेचान कर दस्तावेज पंजीयन करवाया। इसके अलावा दिनांक 10.09.1979 को श्रीमती चुनी ने हीराराम पुत्र रणजीताराम को ख0न0 63 रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा व ख0न0 98 रकबा मे से 16 बीघा 5 बिस्वा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 21.09.1979 को बेचान कर कब्जा सौंप दिया तथा भूमि उक्तानुसार खरीददारान के नाम नामांतरण होकर खातेदारी दर्ज हो



वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त बेचान होने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 किसनी ने दिनांक 24.10.1979 उपरोक्त नामा. संख्या 126 के पारित होने के 14 वर्ष पश्चात श्रीमती चुनी तथा उससे भूमि के खरीददार अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 8 से 10 के विरुद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी फलोदी के न्यायालय मे प्रथम अपील संख्या 43/1979 प्रस्तुत की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का अवसर दिये बिना ही प्रत्यर्थी संख्या 1 की अपील को अपने आदेश दिनांक 02.09.1986 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 126 को निरस्त कर मामला तहसीलदार फलोदी को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश दे दिया। उपखण्ड अधिकारी, फलोदी के आदेश दिनांक 02.09.1986 के व्यथित होकर अपीलार्थी ने उसके विरुद्ध अलग से अपील प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि मामला तहसीलदार फलोदी को प्रतिप्रेषित होने के पश्चात विद्वान तहसीलदार ने मुझ अपीलार्थी को सुनवाई व सूचना का बिना नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 के द्वारा श्रीमती चुनी पत्नी धन्ना के द्वारा बेचान की गयी भूमि पर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिसे

व्यथित होकर अपीलान्त ये यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ अदालत तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 न्याय, नियम व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं क्योंकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के खरीददार यानि अपीलार्थी को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने आवश्यक पक्षकार प्रत्यर्थी बनाया गया, उक्त मामले की सुनवाई का नोटिस वर्तमान अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ तथा उसका नोटिस विधिक रूप से तामील करवाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 की माता श्रीमती चुनी ने उक्त भूमि में से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के पूर्ण कीमत लेकर अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्तियों को हस्तानान्तरण कर दिया, श्रीमती चुनी के द्वारा भूमि का बेचान करन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने आज तक उक्त बेचान पर कोई एतराज नहीं किया, जो चुनी के बेचाननामों से पाबन्द है तथा उक्त निष्पादित बेचाननामों को रद्द करवाये बिना, प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 को भूमि पर कोई हक-अधिकार नहीं बन सकते है, इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से बेचान की गई भूमि पर जरिये नामा0 के नाम दर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो शुन्य है जिसे निरस्त किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्प0 संख्या 1 ता 3 की अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष हुई अपीलाधीन कार्यवाही सद्भाविक नहीं है तथा उनकी माता श्रीमती चुनी द्वारा भूमि की कीमत लेकर तृतीय पक्षकार को बेचान किया गया, तब तक कोई भी उज्र एतराज नहीं किया गया तथा श्रीमती चुनी के द्वारा भूमि का बेचान करने बाद सद्भाविक खरीददार को बिना वजह हेरान-परेशान करने के लिये अपीलाधीन कार्यवाही की है। उक्त कार्यवाही पर खरीददारान का नाम हटाने के आदेश कतई विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे एवं तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 को तथा उसके पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही को निरस्त किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्प0डेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार धन्नाराम के उनकी पत्नि चुनी के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी तीन पुत्रिया कमशः किसनी, नैनी, झमकू भी थी। श्रीमती चुनी पत्नि धन्ना और झमकू तथा भाखराराम का देहान्त हो चुका है। श्री धन्नाराम के देहान्त उपरान्त विरासत नामा0 संख्या 126 ग्राम पलीना उनकी पत्नि चुनी के नाम स्वीकृत हुआ।

रेस्पोजेण्डेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उक्त नामा० संख्या 126 के विरुद्ध एक प्रथम अपील संख्या 43/79 अनवान किसनी बनाम चुनी वगैराह उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष प्रस्तुत हुई जो स्वीकार होकर विरासत नामा० संख्या 126 को निरस्त करते हुए खातेदार धन्ना पुत्र समेला के वारिसान की पूर्ण जाँच कर पुनः नामा० की कार्यवाही करने के आदेश तहसीलदार फलोदी को दिये जाने पर तहसीलदार फलोदी के द्वारा प्रकरण संख्या 74/87 किसनी बनाम चुनी वगैराह दर्ज करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात रेकर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 24.11.2015 के द्वारा स्व० धन्ना पुत्र समेला के देहान्त उपरान्त स्वीकृत नामा० संख्या 126 के पूर्व की रेकर्ड स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विरासत का नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि गलत बट्टा नम्बरान से अलग-अलग खातों में अंकित रकबा की भूमि मूल खसरा एवं मूल रकबा में बरामद कर प्रार्थीया किसनी, अप्रार्थीया संख्या 2 नैनी, अप्रार्थीगण संख्या 3/1 से 3/4 के नाम नामा० में अंकित कर एवं चुनी पत्नि धन्ना के द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गये विक्रय के द्वारा खातेदार के नाम चुनी के हिस्से तक विक्रय अनुसार नामान्तरकरण खोला जावे। रेस्पोजेण्डेन्टस संख्या एक किसनी के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील एवं अपील में पारित रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार फलोदी के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एवं श्रीमती चुनी के द्वारा उनके हक-हिस्से तक बेची/विक्रय की गई भूमि के अनुसार नामा० दर्ज करने के जो आदेश दिया गया है और उसके अनुसार स्वीकृत हुए नामान्तरकरण भी स्वीकृत हो गया है, वो बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोजेण्डेन्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्त के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है वह पूर्ण रूप से सारहीन है क्योंकि रेस्पोजेण्डेन्टस के द्वारा अपने पिता की खातेदारी भूमि में से उनकी पुत्रीयां होने के नाते अपने हक-हिस्से की भूमि प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, फलोदी के समक्ष अपील की थी, श्रीमान उपखण्ड अधिकारी फलोदी ने रेस्पोजेण्डेन्टस की ओर से पेश अपील को स्वीकार करने योग्य मानते हुए ही अपील को स्वीकार करते हुए तहसीलदार फलोदी को आदेश पारित किया गया था। अगर स्व० धन्ना के देहान्त उपरान्त स्वीकृत विरासत के नामा० संख्या 126 में अंकित वादग्रस्त भूमि में से उनकी माता चुनी की ओर से अपीलार्थीगण को और अन्य व्यक्तियों को माता चुनी के हक-हिस्से से ज्यादा का बेचान होकर भूमि कय की है तो उसके लिये रेस्पोजेण्डेन्टस यानि उनकी पुत्रियों के बंट में आ रही भूमि को खरीदना ही नहीं था। क्योंकि रेस्पोजेण्डेन्टस के हक-हिस्से वाली भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार अकेले माता चुनी को था ही नहीं। इन हुए बेचानों के सम्बन्ध में रेस्पोजेण्डेन्टस कतई जिम्मेवार

राजस्व अपील संख्या 309/2017 घमूराम बनाम किसनी वगैराह

नहीं थी। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 10 के द्वारा इसी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पारित उक्त अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध हीराराम पुत्र रणजीताराम वगैराह के द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संख्या 300/2017 अनवान हीराराम वगैराह बनाम किसनी वगैराह में अपीलान्त घमूराम को रेस्पो0 संख्या 08 संस्थित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की प्रथम अपील को अस्वीकार किया जावे एवं तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 24.11.2015 को यथावत बहाल रखा जावे।

रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान के बराबर-बराबर हक-हिस्से निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल उचित है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत बताते हुए अपीलांतस द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात, अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी फलौदी के द्वारा प्रथम अपील संख्या 43/1979 को दिनांक 02.09.1986 को स्वीकार करते हुए दिये गये निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार फलौदी ने रिमाण्ड प्रकरण संख्या 74/1987 दर्ज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा प्रथम अपील में दिये गये निर्देशों यानि मृतक खातेदार धनाराम के वारिसान की पूर्ण जाँच करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके क्रम में उनके द्वारा निष्कर्ष में धन्ना पुत्र समेला के देहान्त के समय उनकी 03 पुत्रियां क्रमशः 1 किसनी, 2 नैनी, 3 झमकू और 4 चुनी प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी व वारिस थी और धन्ना का हिस्सा चारों ही वारिसान को विरासत में प्राप्त हुआ। चुनी पत्नी धना और झमकू और अप्रार्थी संख्या 7 भाखरराम का देहान्त हो जाने, चुनी के द्वारा अपने जीवनकाल में ही पुत्रियों सहित हिस्सा विक्रय कर देने से चुनी का नाम विलोपित किया तथा झमकू व भाखरराम के वारिसान रेकर्ड पर है।

ग्राम पलीना के खारिज विरासत के नामा0 संख्या 126 के पूर्व के रेकर्ड की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नवीन विरासत नामा0 दर्ज करने के सम्बन्ध में गलत बट्टा नम्बरान से अलग-अलग खातों में अंकित रकबा की भूमि मूल खसरा एवं मूल रकबा में बरामद कर रेस्पो0 किसनी, नैनी व झमकू के उत्तराधिकारीगण के नाम अंकित कर चुनी पत्नी धना के द्वारा अपने हिस्से से अधिक

प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लिये जाने के पश्चात हितबद्ध पक्षकारान को जो नोटिस जारी किये गये थे; उनका पत्रावली में रखी प्रति का अवलोकन किया जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त नोटिस विधिवत प्रक्रिया के तहत तामीली नहीं करवाये गये, पक्षकारान के रिश्तेदारों से, मकान पर चस्पा किये अंकित कर पेश किये गये और नोटिस तामील की दिनांक भी अंकित नहीं पाई गई, ऐसे में तामीली प्रक्रिया भी संदेहास्पद व दूषित प्रतीत होती है।

ऐसे में सक्षम स्तर से पुनः आदेश प्राप्त करने की कार्यवाही कर आदेश प्राप्त होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा नये सिरे से प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जानी चाहिये थी जबकि 23 वर्षों के बाद यकायक की गई कार्यवाही अधिनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

वादग्रस्त भूमि का श्रीमती चुनी के द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज के बेचान किये जाने पर बेचान दस्तावेज के अनुसार केतागण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो गये थे, उन स्वीकृत नामान्तरकरण एवं राजस्व रेकॉर्ड में अंकित इन्द्राजों के सम्बन्ध में भी अपीलाधीन आदेश में कोई विवेचन नहीं किया है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजों को जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत उनको प्रभावहीन नहीं किया जाता तब तक उनमें अंकित भूमि का बेचान निरस्त नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से वादग्रस्त भूमि का खातेदार धना के उत्तराधिकारियों एवं केताओं के हिस्सों का बटटा कर वर्गीकरण किया गया है उसे विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उपस्थित रहे हीराराम के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये जवाब में यह अंकित किया गया था कि मृतक खातेदार धनाराम की पुत्रियों की शादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने से पूर्व हो गई और चल सम्पत्ति दे दी गई थी, वर्तमान में उनका भूमि पर कोई हक-कब्जा नहीं है। उनकी माता श्रीमती चुनी के द्वारा किये गये बेचानों से वह पाबन्द थी।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम(संशोधित), 2005 की धारा 6 के सब सेक्शन 1(C) अनुसार:-

"Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004."

उपरोक्त समस्त घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में, अपील में हुई बहस पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं यथोचित न्याय किये जाने की मंशा के अनुरूप हमारे विनम्र

राजस्व अपील संख्या 309/2017 घमूराम बनाम किसनी वगैराह

मत में अपीलान्टस की इस प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 विधि विपरित होने, एकपक्षीय पक्षीय प्रतीत होने, राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका स्थिति के विपरित पारित होने, से बहाल रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्टस की यह प्रथम अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार फलौदी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर
कोडपुर